न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी .श्री मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 7/2018(मुतफरिक)

दायर दिनांक – 14.12.2018
फैसल दिनांक– 13.8.19

अनवान

1– श्रीमती कंकु पत्नि कचरारेत निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री सुखलाल पिता हक्सी भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
2–श्री बदा पिता हक्सी भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
3– श्रीमती लक्ष्मी पत्नि हक्सी भसमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
4– श्री लक्सी पिता रंगा भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
5– श्री मोहन पिता रूपसी भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
6– श्रीमती कमेसर बेवा मोहन भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
7–श्रीमती अनिता पत्नि मोहन भमात निवासी मोरडी तहसील गलियाकोट
8–श्रीमती सूर्या पत्नि लक्ष्मण मीणा निवासी बाबा की बार तह0गलियाकोट
9– श्रीमती माया पत्नि कान्ती मीणा निवासी बाबा की बार तह0 गलियाकोट
10– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील गलियाकोट

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी – श्री अनिरूद्धसिह
वकील अप्रार्थीगण– ––

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीयाकी भूमि पर कब्ज करने की नियत से अतिक्रमण कर कार्य किया जा रहा है ।उपरोक्त अनवान के वाद में प्रार्थीया को पूर्ण सफलता मिलने का विश्वास है। इस प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1से 7 एक ही गांव व एक ही परिवार के है ।अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के सम्बन्धि है । प्रार्थीया की मौजा मोरडी के खाता संख्या 07/236 कुल खसरा 02 रकबा कुल 03 बीघा 05 बिस्वा की स्थित है जिस पर प्रार्थीया काबिज हो उसका

13.8.19

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग व काश्त करती आ रही है । प्रार्थीया की उक्त खातेदारी व स्वामित्व की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है एवं विरोध करने पर भी नही मान रहे है तथा प्रार्थिया को डरा धमका कर काश्त करने से रोका जा रहा है । प्रार्थीया को अपनी भूमि से कब्जा हटाने ओर उसे अप्रार्थीगण को विक्रय करने हेतु डराया धमकाया जा रहा है । प्रर्थीया की फसल को काट कर ले गये जिससे प्रार्थीया को 25000 रूपया का नुकसान हुआ ।इस सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाना में कार्यवाही की जो चल रही है इसके बावजूद भी जबरन कब्जा हटा लेने दबाव बनाया जा रहा है ।

अतःप्रार्थीया द्वारा मोजा मोरडी के खाता संख्या 07/236 कुल खसरा 02 कुल रकबा 03 बिघा 05 बिस्वा पर विपक्षीगण संख्या 1 से 7 कोई अतिक्रमण व कब्जा करने की नियत से कृषि कार्य,निर्माण कार्य न तो स्वयं या अपने एजेण्ट ,मजदूर ,ठेकेदार ,रिश्तेदार अन्य किसी सके करावे तथा प्रार्थीया के खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से रूकावट पैदा नही करें ,विपक्षीगण किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नही करें जिस हेतु उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने निवेदन किया गया है ।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करते हुए दस्तावेज जमाबन्दी ,नकल खसरा गिरदावरी,नक्षा ट्रैस एवं फौजदारी कार्यवाही की नकल प्रस्तुत की गई है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया ।

दिनांक 19.6.2019 को अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज होना तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को जबरन डरा धमका कर विक्रय के लिए आमादा करने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।

पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी में प्रार्थीया मोजा मोरडी के खाता संख्या 7/236 के खसरा नम्बर 519,521 की खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीया के कथन के विरूद्ध दौराने कार्यवाही अप्रार्थीगण के द्वारा कोई जवाब एंव साक्ष्य आदी प्रस्तुत नही किया गया है । प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में एंव अप्रार्थीगण

13.8.19

Scanned by CamScanner

द्धारा जबरन कब्जा करने से प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मोजा मोरडी के खाता संख्या 07/236 कुल खसरा 02 कुल रकबा 03 बिघा 05 बिस्वा पर कोई अतिक्रमण व कब्जा करने की नियत से कृषि कार्य,निर्माण कार्य न तो स्वयं या अपने एजेण्ट ,मजदूर ,ठेकेदार ,रिश्तेदार अन्य किसी सके करावे तथा प्रार्थीया के खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से रूकावट पैदा नही करें ,विपक्षीगण किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नही करें ।

आदेश आज दिनांक 13.8.19 को सरे ईजलास सुनाया गया,पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

13.8.19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner